



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 379 राँची, मंगलवार,

18 अगस्त, 2020 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

14 अगस्त, 2020

विषय:- 'मुख्यमंत्री श्रमिक योजना [Mukhyamantri SHRAMIK (SHahri RozgAr ManjurI for Kamgar) Yojna], 2020 ।

1. भूमिका:-

संख्या-01/नी.नि. (SHRAMIK)-01/2020 न.वि.आ.-2024-- झारखण्ड राज्य में अकुशल श्रेणी के कामगारों की बड़ी संख्या है, जिनके रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में उनके समक्ष स्वयं एवं परिवार के जीवकोपार्जन, भरण-पोषण एवं अन्य आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। Covid-19 महामारी के कारण भी झारखण्ड के कामगारों की बड़ी संख्या में देश के अन्य प्रदेशों से राज्य में वापसी हुई है।

राज्य सरकार द्वारा शहरी विकास की कई योजनाएँ संचालित की जाती हैं/की जा रही हैं यथा- भवनों का निर्माण, सड़को का निर्माण, साफ-सफाई, स्वच्छता आदि से संबंधित योजनाएँ, जिनके कार्यान्वयन में अकुशल कामगारों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में हरियाली के विस्तार एवं वातावरण की शुद्धता हेतु पार्को के रख-रखाव एवं शहरी वनस्पतियों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण के लिए भी कामगारों की आवश्यकता होती है। विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों को बेहतर रख-रखाव भी राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु झारखण्ड के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों के वयस्क सदस्यों की आजीविका की सुरक्षा के लिए, जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

2. परिभाषाएँ:-

- (I) 'वयस्क' से तात्पर्य है 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सदस्य।
- (II) 'अकुशल कार्य' से तात्पर्य उन भौतिक कार्यों से है, जिसके लिए किसी विशेष दक्षता या प्रशिक्षण की आवश्यकता न हो।
- (III) 'परिवार' से तात्पर्य है एकल परिवार, जिसमें पति, पत्नी और आश्रित संतान शामिल हैं।
- (IV) 'शहरी क्षेत्र' से तात्पर्य है सभी नगर निगम, नगर परिषद्, कैंटोनमेंट एरिया, नगर पंचायत है, जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में शामिल नहीं है।
- (V) 'आवेदक' से तात्पर्य है उन परिवारों के वयस्क सदस्य, जो इस योजना अंतर्गत निबंधित किये गए हैं।

3. शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी एवं योजना का नाम:-

- (I) शहरी क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, में रहने वाले परिवार के सदस्यों को, जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने को तैयार हो, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के कार्य की गारंटी 'मुख्यमंत्री श्रमिक योजना [Mukhyamantri SHRAMIK (SHahri RozgAr ManjurI for Kamgar) Yojna] के माध्यम से दी जाएगी।
- (II) शहरी क्षेत्र में संचालित विभिन्न स्कीम में अकुशल कार्य की पहचान कर, उसमें नियोजन के माध्यम से यह गारंटी सुनिश्चित की जाएगी।
- (III) कार्य करने वाले लोगों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी देय होगी।
- (IV) मजदूरी का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से कार्य समाप्ति या एक सप्ताह के बाद (दोनों में जो पहले हो) किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में पंद्रह दिन के अन्दर भुगतान अनिवार्य रूप से कर दिया जायेगा।
- (V) शहरी आजीविका मिशन इन आवेदकों को कालांतर में Deendayal Antyodaya Yojna-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) में प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।
- (VI) राज्य सरकार अपनी विकास की सीमाओं और आर्थिक क्षमता के अनुरूप शहरी क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजटीय उपबंध का ही प्रयोग इस योजना के लिए करेगी। इसके अतिरिक्त Critical Gap (Grant) Fund सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराने के निमित्त अलग से बजट राशि की उपलब्धता नियमानुकूल ढंग से, विहित प्रक्रियाओं के अंतर्गत किया जा सकेगा। Critical Gap Fund के रूप में वार्षिक व्यय की अधिकतम अधिसीमा 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

4. योजना का उद्देश्य:- योजना के निम्नांकित उद्देश्य हैं:-

- (I) गरीब परिवारों के खाद्य सुरक्षा, पोषण के अवसर बढ़ाना और उनके उत्तरोत्तर जीवन में सुधार लाना।
- (II) शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई, स्वच्छता और शुद्ध वातावरण का सृजन करना।
- (III) शहरी क्षेत्रों में हरियाली का विस्तार करना।

(IV) शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न योजनाओं के ससमय पूरा होने की गारंटी करना।

(V) विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों का बेहतर रख-रखाव करना।

5. रोजगार गारंटी स्कीम और बेरोजगारी भत्ता:-

(I) राज्य सरकार, क्रियान्वयन एजेंसी की सहायता से सभी नगर निकायों में वार्ड वार, शहरी क्षेत्र में संचालित सभी स्कीमों में अकुशल श्रम के मानव दिवसों की उपलब्धता के आधार पर सभी निबंधित परिवारों को 100 दिन का काम देने के लिए एक समेकित वार्षिक श्रम योजना तैयार करेगी।

(II) यदि किसी आवेदक कामगार को जिसने काम की मांग की हो, पंद्रह दिन के अन्दर रोजगार की मंजूरी नहीं मिलती है तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा, जो पहले माह न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई, दुसरे माह न्यूनतम मजदूरी का आधा, और तीसरे माह से न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य होगा। इस प्रावधान को योजना प्रारंभ होने के एक वर्ष के पश्चात स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात निर्णय लिया जाएगा।

(III) इन परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ता की हकदारी समाप्त हो जाएगी यदि:

(i) आवेदक काम की सूचना प्राप्त हो जाने पर (लिखित या मोबाइल सन्देश) भी काम पर उपस्थित नहीं होता या इसके लिए कोई वाजिब कारण नहीं बता पाता, ऐसी स्थिति में अगले तीन माह तक वह काम की मांग पुनः कर सकता है पर यदि क्रियान्वयन एजेंसी उसे काम नहीं दे पाती तो वह बेरोजगारी भत्ता का हकदार नहीं होगा।

(ii) उस परिवार ने सम्मिलित रूप से उस वित्तीय वर्ष में 100 दिन का काम पूरा कर लिया हो।

(iii) बेरोजगारी भत्ता और अर्जित मजदूरी की राशि को मिलाकर उस परिवार ने 100 दिन के कार्य के बराबर राशि अर्जित कर ली हो।

(IV) बेरोजगारी भत्ते की राशि का भुगतान आवेदक के आवेदन प्राप्त या जिस दिन से काम माँगा गया हो उसके पंद्रह दिन के भीतर अनिवार्य रूप से कर दी जाएगी।

6. योजना का निर्माण और क्रियान्वयन की जिम्मेवारियाँ:-

(I) शहरी गारंटी योजना के लिए वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के तीन माह पूर्व से प्रारम्भ होगा और इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने और नगर निकायों के कर्मों और प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेवारी क्रियान्वयन एजेंसी की होगी। श्रम बजट से पूर्व विभिन्न स्कीमों में जो शहरी क्षेत्र में संचालित है, की योजनाओं की मानव दिवस उपलब्धता से संबंधित जानकारी भी वार्ड स्तर पर उपलब्ध कराना क्रियान्वयन एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

(II) वार्ड स्तर पर एक कर्मों निबंधन, काम की मांग, काम देने की सूचना और शिकायत प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा (सामुदायिक संगठक)। राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार शहरी रोजगार सेवक (सामुदायिक संगठक) को संविदा पर नियुक्ति करने का निर्णय ले सकेगी और इसके लिए प्रक्रिया, पात्रता और नियमावली बना सकेगी।

(III) नगर निकाय के अधिकारी (नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी) इस योजना के नोडल अधिकारी होंगे, जो राज्य के नगर विकास एवं

आवास विभाग के निर्देशों का पालन करेंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग, राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से इसे संचालित करेगा।

- (IV) इस योजना के संचालन के लिए MIS प्रणाली विकसित की जायेगी, जो निबंधन, कार्य, भुगतान, शिकायत संबंधी सभी सूचना और प्रक्रिया को सहज और सुलभ करेगी।

7. पात्रता और कामगार की हकदारियाँ:-

- (I) निबंधन: 'मुख्यमंत्री श्रमिक योजना' के तहत अकुशल श्रम करने को तैयार परिवारों को निबंधन कराना अनिवार्य होगा। वे ही परिवार के सदस्य निबंधन करा सकते हैं:
- जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो,
 - 1 अप्रैल, 2015 से शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में रह रहे हों (अपना/किराया/स्लम क्षेत्र)
- (II) वार्ड इकाई का दायित्व होगा की वह कामगारों की पहचान कर पंद्रह दिनों के अन्दर इन्हें निःशुल्क शहरी रोजगार कार्ड उपलब्ध कराये और बैंक खाता खुलवाने में सहायता करें।
- (III) रोजगार की मांग: शहरी रोजगार कार्ड प्राप्त परिवार के कामगार सदस्य लिखित या मौखिक रूप से व्यक्तिगत या समूह में रोजगार की मांग कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें तिथियुक्त पावती प्राप्त होगी। तत्पश्चात उक्त कामगार को ससमय रोजगार की मंजूरी दी जायेगी। कम से कम सात दिन और अधिक से अधिक 100 दिन का काम माँगा जा सकता है।
- (IV) कार्यस्थल में सुविधा: प्रत्येक कार्यस्थल पर पीने का पानी, प्राथमिक उपचार की पेटी और यदि कार्यरत मजदूरों के पांच वर्ष से कम उम्र के पांच बच्चे हों तो देखभाल के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ एक महिला मजदूर को रखा जाना अनिवार्य होगा, जिसको भी न्यूनतम मजदूरी देय होगी।
- (V) यथासंभव कार्य निबंधित मजदूर को अपने निवास के वार्ड में ही दिया जाएगा। दूसरे क्षेत्र में कार्य देने पर यदि दूरी 5 किमी से अधिक है तो कार्यस्थल पर ही आवासन की व्यवस्था की जायेगी या 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी देय होगी।
- (VI) समय पर भुगतान (कार्य के 15 दिन के अन्दर) नहीं होने पर विलंब शुल्क मजदूर को देय होगा। इसके लिए जिम्मेदार कर्मी/एजेंसी से इसकी वसूली की जाएगी। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग प्रक्रिया निर्धारित करेगी।
- (VII) कार्यस्थल पर कोई भी दुर्घटना में घायल होने पर मजदूर या बच्चे के इलाज की जिम्मेवारी क्रियान्वयन एजेंसी की होगी और इसके कारण से कार्य ना कर पाने की स्थिति में उस अवधि की आधी मजदूरी देय होगी।
- (VIII) कार्यस्थल पर उपस्थित सभी मजदूरों का आयुष्मान कार्ड बनाने, असंगठित मजदूर के रूप में निबंधन कराने एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं जिनकी पात्रता की अहर्ता वो पूरी करते हों, में उनका नाम दर्ज कराने की जिम्मेवारी क्रियान्वयन एजेंसी की होगी।
- (IX) मजदूर और उनके पांच वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे जो कार्यस्थल पर मौजूद रहे हों, की कार्यस्थल में कार्य के दौरान मृत्यु होने पर या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में एक लाख

रुपये का मुआवजा देय होगा, अर्ध विकलांगता की स्थिति में पच्चीस हजार की राशि देय होगी।

8. पारदर्शिता और जवाबदेही:-

योजना से सम्बंधित सभी सूचनाएँ सार्वजनिक की जाएँगी और MIS के तहत किसी भी व्यक्ति की पहुँच उन तक हो सकेगी। लिखित सूचना मांगे जाने पर शहरी स्थानीय निकाय के जन सूचना पदाधिकारी सम्बंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेवार होंगे।

9. शिकायत निवारण प्रणाली:-

- (I) योजना से सम्बंधित शिकायतों को प्राप्त करने की जिम्मेवारी वार्ड स्तर के कर्मों की होगी और इसकी तिथियुक्त पावती शिकायकर्ता को देना अनिवार्य होगा। इस योजना से सम्बंधित MIS में भी ऑनलाइन शिकायतें लेने का प्रावधान होगा, जिस पर संबंधित इकाइयों को ससमय संज्ञान लेना आवश्यक होगा।
- (II) सात दिनों के अन्दर इन शिकायतों पर कार्रवाई या टिप्पणी वार्ड स्तर के कर्मों द्वारा की जाएगी। शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर पंद्रह दिनों के अन्दर शिकायत निवारण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (III) मात्र रोजगार प्रदान करने से संबंधित शिकायतों को संज्ञान में लिया जायेगा।

10. अनुमेय कार्य:-

- (I) मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत निबंधित मजदूरों को निम्नांकित श्रेणी में अकुशल श्रम के कार्य में काम दिया जा सकेगा:-
 - (i) श्रेणी-1 साफ सफाई और स्वच्छता: नाले, सड़क, पार्क, बाजार, हाट, मेला, बस स्टैंड, सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई से सम्बंधित कार्य।
 - (ii) श्रेणी-2 जल संरक्षण: रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब के जीर्णोधार सम्बंधित कार्य।
 - (iii) श्रेणी-3 वृक्षारोपण, बागवानी: शहर के पार्क चैराहे, सड़क के बीच और किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण, पटवन, सुरक्षा की व्यवस्था से सम्बंधित कार्य।
 - (iv) श्रेणी-4 सार्वजनिक कार्य: भवन निर्माण, सड़क निर्माण एवं मरम्मती, सामान्य रंग रोगन, केबल डालना, फुटपाथ, साइकिल रास्ता का निर्माण या मरम्मती, पेयजल स्रोत की देखभाल, निर्माण और मरम्मती से संबंधित कार्य।

नगर निकाय के अन्तर्गत जो सर्वाधिक आवश्यक कार्य होगा, उसी में सर्वप्रथम नियोजित किया जाएगा।
- (II) इस गारंटी के तहत निबंधित परिवारों को काम दिया जाने के निमित्त योजनाओं की प्राथमिकता निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएंगी:-
 - (क) शहरी स्थानीय निकाय की योजनायें।
 - (ख) नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत गठित विभिन्न संकायों द्वारा संचालित अन्य योजनायें।
 - (ग) शहरी स्थानीय निकाय में राज्य सरकार के अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित राज्य सरकार की अन्य योजनायें।
 - (घ) शहरी गारंटी योजना के तहत काम आबंटित करने के लिए आवश्यक Critical Gap (Grant) Fund के तहत चिन्हित योजनायें।

सर्वप्रथम आवेदकों को क्रम संख्या (क) में अंकित योजनाओं में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। यदि क्रम संख्या (क) में अंकित योजनाओं में रोजगार उपलब्ध कराना संभव नहीं हो तो क्रम संख्या (ख) की योजनाओं में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। तदनुसार ही क्रम (ग) एवं (घ) में रोजगार उपलब्ध कराने की कारवाई की जायेगी।

मात्र क्रमांक (घ) में अलग से मास्टर रॉल संधारित की जायेंगी एवं शेष क्रमांक (क), (ख) एवं (ग) की योजनाओं में संबंधित नगर निकाय संवेदक एजेंसी से सामंजस्य स्थापित कर आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

- (III) इस योजना के तहत चिन्हित कार्यों में कार्य के स्वरूप को देखते हुए मशीन के प्रयोग की अनुमति होगी पर जो काम Critical Gap (Grant) Fund के तहत लिए जायेंगे उसमें अनिवार्य रूप से न्यूनतम 80 प्रतिशत राशी मजदूरी और अधिकतम 20 प्रतिशत राशी सामग्री पर खर्च की जाएगी।

11. प्रकीर्ण:-

- (I) इस योजना के तहत प्रदत्त अधिकारों और प्रक्रिया के उल्लंघन की स्थिति में सम्बंधित कर्मों पर अन्य विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त रु. 1000/- तक का जुर्माना किया जा सकता है।
- (II) राज्य स्तर पर इस योजना सम्बन्धी सभी प्रकार के नीतिगत निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शहरी रोजगार गारंटी परिषद् का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित विभाग के मंत्री उपाध्यक्ष होंगे और नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, उर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग के सचिव सदस्य होंगे। तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि, शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 4 जनप्रतिनिधि भी इसके सदस्य मनोनीत किये जायेंगे। प्रत्येक तीन माह में परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी।
- (III) यदि इस योजना को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो नगर विकास एवं आवास विभाग को यह शक्ति प्राप्त होगा कि वह इस मामले में इन नियमों के सार तत्व को प्रभावित किये बिना निदेश जारी कर सकेगा।

12. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
